

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई

(अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 184/2025

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज..
2. अमरावती पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0..


--वादीगण

बनाम्

1. हंसराज पुत्र बुटाराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
2. ममता पुत्री हंसराज जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

तहसीलदार राजस्व संगरिया

--प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते फसाल कर्तई रुबरु हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संजय सहू वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं 1 के नाम दर्ज तहसील संगरिया के चक्र नं 10 एन.टी.डब्ल्यू ज.स 2073-76 के खाता सं 119/37 मे वादीगण को 4.048 है बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी सं 1 का इतना हिस्सा कम किया जाता है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैंक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जाये।

निज........नल........मुब्लिक........निल........वाबत........निल........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फौसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक..... अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.6.2025 को जारी किया गया।

+

(जय कौशिक)

महासचिव कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

